तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **निगरानी/टिए/228/2005/भरतपुर** **भगवानदेवी बनाम राधेश्याम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.11.2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति–** श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 230, के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर द्वारा दिनांक 08–11–2004 को प्रकरण संख्या 338/2004 शीर्षक राधेश्याम बनाम भगवान देवी में पारित आदेश के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। अभिभाषक प्रार्थी पक्ष की बहस निगरानी पर सुनी गई। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के समक्ष वादी/अप्रार्थी द्वारा अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 के तहत वादपत्र प्रतिवादीगण–निगराकारान व गैर निगराकार संख्या 2 व 3 के विरुद्ध प्रस्तुत किया और वादपत्र को दिनांक 16–10–2003 को अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वाद को रैस्टोर कराने हेतु जो आवेदन दिनांक 1–10–2003 को प्रस्तुत किया गया उसमें गलत तथ्य अंकित किये गये हैं। दिनांक 1–10–2003 को वाद अदम हाजिरी में खारिज किया गया है और फिर इसी तारीख पेशी को इसे रैस्टोर किया गया और फिर दिनांक 16–10–2003 को अदम हाजिरी में खारिज किया गया है। स्पष्ट है कि वादी अपने वाद को चलाने के प्रति लापरवाह रहे हैं और इस प्रकार की स्थिति में आदेश दिनांक 16–10–2003 न्यायोचित आदेश था। बिना कोई संतोष जनक कारण अंकित किए, अपूर्ण रुप से प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र दिनांक 1–10–2003 के आधार पर वाद को रैस्टोर किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश गलत प्रकार से पारिज किया गया आदेश होने से निगरानी स्वीकार की जाये और निगरानीधीन आदेश को निरस्त किया जाये।	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **<u>निगरानी/टिए/228/2005/भरतपुर</u>** **<u>भगवानदेवी बनाम राधेश्याम</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थी पक्ष उपस्थित नहीं हैं। अभिभाषक प्रार्थी पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए वादपत्र को दिनांक 16–10–2003 को अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। उक्त ओदश को निरस्त कर वाद को रैस्टोर कराने हेतु आवेदन दिनांक 1–10–2003 को प्रस्तुत किया गया जिसे स्वीकार कर आधार पर वाद को पुनः नम्बर पर लिया गया है। स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय इस आधार पर पारित किया है कि प्रतिवादीगण को सुनवाई का उपयुक्त अवसर प्राप्त हो सके और प्रकरण में गुणावगुण पर निस्तार हो सके। अतः न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हमें किसी प्रकार की अनियमितता प्रतीत नहीं होती है और अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में ऐसी कोई त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है जिसमें निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत किसी प्रकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो। फलतः निगरानी सारहीन होने से **खारिज** की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	